यह निरीक्षण प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के माह 01/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री गौरव पंत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री अनूप सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री राजा रंजन राव, स.ले.प.अ. द्वारा श्री शशि कान्त पाण्डेय लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 04.09.2018 से 07.09.2018 तक सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि शंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.01.2016 से 16.01.2016 तक श्री बी.डी.सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2011 से 12/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- कार्यालय उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है जिसमे जनपद देहरादून तथा समस्त गढ़वाल मे स्थापित उधोगों मे प्रदूषण नियंत्रण से संबन्धित स्थापना एवं संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (CTE/CTO) प्रदान किया जाता है तथा जनपद देहरादून तथा समस्त गढ़वाल मण्डल (हरिद्वार जिला छोड़ कर) प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अन्य कार्य किए जाते हैं।
कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का जनपद देहरादून तथा समस्त गढ़वाल मण्डल (हरिद्वार जिला छोड़ कर)

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	114.15	75.61	-	-	*	
2016-17	-	-	102.75	75.41	-	-	*	
2017-18	-	-	121.25	101.10	-	-	*	
2018-19 upto Aug. 2018	-	-		43.12	-	-	*	

* NO budget Provision By HO UBPPCB

* Release against after actual Expenditure

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत(-)
2015-16	NAMP	-	-	2.90	-	--
2016-17		-	-	11.47	-	-
2017-18		-	-	11.18	-	-
2018-19 upto Aug 2018		-	-	6.32	-	-

* Fund Received in NAMP Project at HO UBPPCB Dehradun

उपरोक्त योजना मे मुख्यालय स्तर पर धनराशि प्राप्त होती है जिसके कारण प्राप्त धनराशि का विवरण कार्यालय द्वारा नहीं दिया गया है

इकाई को बजट प्रावधान/आवंटन UEPPCB, Head office, DDun द्वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. चेयरमैन
2. सदस्य सचिव

3. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता एवं मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी
4. क्षेत्रीय अधिकारी- पर्यावरण अभियन्ता/ वैज्ञानिक अधिकारी

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2017 एवं 07/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1 :- प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्यों की अप्राप्ति ₹ 847.25 लाख।

उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी देहारादून हेतु प्राप्ति के संबंध मे निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध हुई प्राप्ति संबंधी आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 के दौरान कुल रुपए 847.25 लाख की कम प्राप्ति हुई जो निम्नवत प्रदर्शित है -

वर्ष	वास्तविक लक्ष्य (लाख में)	वास्तविक प्राप्ति (लाख में)	कम वसूली	
			धनराशि (लाख में)	धनराशि (प्रतिशत में)
2015-16	328.00	284.99	43.01	13.11
2016-17	394.00	58.34	335.66	85.19
2017-18	480.00	11.42	468.58	97.62
2018-19(अगस्त 2018 तक)	-	38.98	-	
		कुल	847.25	

विभाग ने उत्तर दिया की वर्ष 2015-16 के दौरान क्रमशः 1 साल, 5 साल एवं 15 साल की अवधि हेतु सहमति संचालन निर्गत किया गया जिस कारण अन्य वर्षों की तुलना मे शुल्क अधिक प्राप्त हुआ। पुनः उक्त शुल्क ई पेमेंट के जरिये सीधे बोर्ड के खाते मे जमा होता है।

विभागीय उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि प्रथमतः विभाग ने अपनी आख्या के समर्थन मे कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये न ही स्पष्ट किया कि वर्ष 2015-16 मे भी लक्ष्य प्राप्ति क्यों नहीं संभव हो सका।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के नोटिस मे लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2: 562 उधोगों से संचालन अनुमति प्रदान करने के लिए ली जाने वाली रुपेय 32.46 लाख की धनराशि प्राप्त किया जाना लंबित रहना।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनीयम ,1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनीयम,1981 की धारा 21 "कुछ औधोगिक संयंत्रो के प्रयोग पर निर्बंधन" (restriction on usage of certain industrial plants) की उपधारा (1) के अधीन रहते हुए,कोई व्यक्ति राज्य बोर्ड की पूर्व सम्मति के बिना,किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई औधोगिक संयंत्र स्थापित व प्रचालित नही करेगा |

कार्यालय के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में संचालित होने वाले उद्योग को संचालन अनुमति(consent to operate) प्रति वर्ष या उधोगों को उसकी आवश्यकतानुसार संचालन अनुमति शुल्क (Renewal Fee for CTO) प्राप्त कर उद्योग को CCA-Consolidated consent and Authorization (Water Act, Air Act and Hazardous Rules) इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सभी उद्योग उपरोक्त अधिनियमो की धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कार्यालय के अधीन आने वाले जनपदों यथा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गड़वाल, पौड़ी गढ़वाल एवं देहारादून मे संचालित हेतु अनुमति (CTO) प्रदान किए गये उद्योग की CCA वैधता के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि देहरादून जनपद मे 353 उद्योग, पौड़ी मे 92 उद्योग, उत्तरकाशी मे 21 ,टिहरी मे 53 , रुद्रप्रयाग मे 7 और चमोली जनपद मे 36 उद्योग ऐसे थे जिन्होनें क्षेत्रीय कार्यालय से उद्योग से संचालन हेतु अनुमति प्रदान की थी लेकिन पुन: उस अनुमति को आगामी वर्षों हेतु Renewal नहीं कराया जा रहा था और ना ही क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इन सभी उद्योग के संचालन हेतु कोई Survey किया गया जिससे यह निधारण किया जा सके कि उद्योग बिना CTO के संचालित हैं या उद्योग है, जिसके कारण क्षेत्रीय कार्यालय के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही थी साथ ही CTO fee की धनराशि भी अप्राप्त थी। लेखा परीक्षा द्वारा इन सभी CCA अप्राप्त संचालित उद्योग की वर्तमान स्थिति यथा संचालित है या बंद है की सूचना एवं इन उद्योगों की CTO Renewal Fee की जानकारी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को कहा गया तो कार्यालय द्वारा उत्तर मे कहा गया की इन सभी उद्योग से ली जाने वाली Renewal Fee एवं उद्योग बन्द है या चालू है की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इन सभी उद्योग इकाइयो के निरीक्षण उपरांत लेखापरीक्षा को अवगत करा दी जाएगी | उक्त 562 औधोगिक इकाई के renewal के लिए कार्यालय द्वारा कुल रु 32,46,010 /- की न्यूनतम CTO renewal fee प्राप्त किया जाना लंबित था |

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
सा.क्षे./ए.आई.आर.-177/15-16	-	01 & STAN

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
----------शून्य----------				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) कैश बुक का रखरखाव भौतिक रूप से नहीं किया जा रहा है।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम. स.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री एस. एस.राणा	क्षेत्रीय अधिकारी	से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहारादून ,को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.